

न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा  
(पिठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 12/2019

दायर दिनांक - 21/01/2019

निर्णय दिनांक - 21/11/2019

अनवान

1. कालुराम पिता शकरलाल, जाति ब्राहमण निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड के आराजी संख्या 2370 रकबा 01-13 बीघा प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की स्थित है उक्त आराजीयात के सम्बंध में पडोसी सीमा के सम्बंध में विवाद करते है, और लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है, इसलिये पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के सम्बंध में पत्थरगडडी कराया जाना एवं मीनार बंदी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ताकि उक्त आराजीयात के सीमा सम्बंध विवाद नहीं हो और भूमियों पडोसियों से किसी प्रकार की टकराव एवं विवाद नहीं हो। प्रार्थना पत्र हेतु विगत एक माह से पडोसियों द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बंध में सीमा सम्बंधी विवाद करने पर प्रार्थी द्वारा समझाने पर नहीं मानने से लगातार पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित आराजीयात की पत्थरगडी एवं मिनार बन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षी की ओर से पेशाकार सरकार ने उपस्थित होकर पत्थरगडी किये जाने हेतु अन्नापति जाहीर की गई।



अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलूण्ड के आराजी संख्या 2370 रकबा 01-13 बीघा भूमि के चारों दिशाओं की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिवांशु शर्मा)  
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा